

फर्द अहकाम
(निबन्ध 20)

अस्य अदालत - उपरखण्ड अधिकारी मुक्तगम - जहाजपुर (भीलवाडा)
कैलाश चन्द पिता मोहन लाल मालू जाति महाजन निवासी जहाजपुर
बनाम
अनिल पिता किशन लाल जाति मूर्जर निवासी जहाजपुर वगैरा

क्रिष्ण मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 230/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिविधत्सा अज	गम्बर व तारीख अहकाम जी हुक्म की तारीख में जारी हुये
12.08.21	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम जहाजपुर पटवार हल्का जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 523/1 रकबा 03.05 बीघा स्थित है। विपक्षीयण आगे दिन सीमा सम्बन्धी विवाद को लेकर झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बन्ध 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के एकल/संयुक्त स्वामित्व की है, पड़ोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके जाहिर होता है कि पत्थरगढी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. से एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम जहाजपुर पटवार हल्का जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 523/1 रकबा 03.05 बीघा की बसामलात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु शू अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 12.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	
	<p>उपरखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)</p>	